	Dy. Registrar A.D अन्दर 7 दिवस पेश न करने पर जारी शुदा एक पक्षीय T.I. स्वतः निरस्त समझा जावेगा। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर
6-4-21	प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता न्यायालय में आज भी उपस्थित नहीं है। दावा वादी मदमहकमी मदद परवी मरवाजिज मियाद-इकराम तद्मुताबिक प्रार्थनापत्र भी मुदमहकमी मदमदरवी मरवाजिज मियादुल्ला व इकरारी एक पक्षीय स्थगन मादर दिनांक 25-11-20 खारिज मियादुल्ला व पत्रावली फिकल शुमार रोस्ट दफ्तर दफ्त हो।

प्रार्थना पत्र सायल की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुत है:-